न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह,आर.ए.एस.

1. श्री नटवरदान पुत्र स्व. खेमदानजी, जाति चारण, आयु 63 वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
2. श्री रणवीर सिंह पुत्र स्व. खेमदानजी, जाति चारण,आयु 62 वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
3. श्री अल्पेश सिंह पुत्र पृथ्वीराजजी, जाति चारण, आयु 30वर्ष, निवासी पेशुआ,तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
4. श्रीमती रेखा कुंवर पुत्री पृथ्वीराजजी, जाति चारण, आयु 33वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
5. श्रीमती जागृति कुंवर पुत्री पृथ्वीराजजी, जाति चारण, आयु 26 वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
6. श्रीमती भगवती पत्नी पृथ्वीराजजी, जाति चारण, आयु 51 वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
7. श्री चन्द्रवीरसिंह पुत्र घनश्यामसिंहजी, जाति चारण, आयु 20 वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
8. श्रीमती चेतनादेवी पत्नी घनश्यामसिंहजी, जाति चारण, आयु 42 वर्ष, निवासी पेशुआ, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|
9. श्रीमती अमृतबेन पुत्री स्व. खेमदानजी, जाति चारण, आयु 65 वर्ष, निवासी पेशुआ,हाल पीड़ागडा, जिला बनासकांठा, गुजरात|
10. श्रीमती उषा बेन पुत्री स्व. खेमदानजी, जाति चारण, आयु 50 वर्ष, निवासी पेशुआ,हाल माणका, जिला बनासकांठा, गुजरात| ....प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. श्रीमती पोनीदेवी पत्नी समारामजी,जाति मेगवाल, आयु वयस्क, निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही, राज.|

2. श्री राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार साहब पिण्डवाडा, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही राज. ।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 207 / 2018

उपस्थिति :–

1. श्री उमेश पटेल, प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री दिलीप सिंह आढा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री गोंगाराम मीणा पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 2

–: आदेश :–

दिनाक 25/11/2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम धांधपुरा पटवार हल्का पेशुआ तहसील पिण्डवाडा में प्रार्थीगण के कब्जे कास्त व खातेदारी की कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2070–73 अनुसार खाता संख्या 24 खसरा संख्या 277,278 क्षैत्रफल 4–08 बीघा किस्म बारानी 2 की स्थित है। अप्रार्थीया की खातेदारी की कृषिभूमि प्रार्थीगण की कृषिभूमि के लगते हुए ग्राम धांधपुरा पटवार हल्का पेशुआ में जमाबंदी संवत् 2070–73 अनुसार खाता संख्या 147 खसरा संख्या 277,281,282 क्षैत्रफल 3–01 बीघा किस्म जाव 3 स्थित है। अप्रार्थीया की उक्त आराजी के पूर्व दिशा में रास्ता है। उक्त रास्ता व प्रार्थीगण कि आराजी के पूर्व दिशा में रास्ता है उक्त रास्ता व प्रार्थीगण कि आराजी के मध्य अप्रार्थिया की आराजी स्थित है प्रार्थीगण की उक्त आराजी तक आने जाने व पहुंच बनाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि आराजी तक आने जाने हेतु अप्रार्थिया की भूमि मे से होकर गुजरना पडता है तथा साधन इत्यादि ले जाने व लाने में काफी परेशानी होती है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested

फसल बुआई हो जाने पर अत्याधिक असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी तक पहुंच हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया से रास्ता हेतु भूमि उपलब्ध कराने का निवेदन किया पर अप्रार्थीया ने रास्ता हेतु भूमि देने से साफ मना कर दिया एवं उनकी भूमि मे से आने जाने से भी मना कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि तक पहुंच नही बना पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक कृषि साधन इत्यादि ले जाने व लाने मे भारी असुविधा हो रही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया को अपनी भूमि तक आने–जाने हेतु उसके खसरा संख्या 280 व 282 के उत्तरी छोर से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया और नियमानुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करने का भी प्रस्ताव रखा पर इस हेतु अप्रार्थीया तैयार नही हुई और रास्ता देने से साफ इन्कार कर दिया जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण बना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी तक पहुच हेतु रास्ते का आत्यांतिक अभाव है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग स्थित नही है जिससे अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 280 व 282 में से उसके उत्तरी छोर सीमा पर से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 277,278 तक संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार नया रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है जो समीप सरल व सुविधा पूर्ण भी है। जिसकी नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। अतः तलबी अप्रार्थीगण व सुनवाई जांच कराकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी आराजी खसरा संख्या 277,278 तक पहुच हेतु नया रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शित अनुसार खसरा संख्या 280 व 282 में से उसके उत्तरी छोर पर से स्वीकृत करते उसे राजस्व नक्शे में व रेकर्ड में इन्द्राज कर भौतिक रूप से रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनाक 26.11.2018 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी गणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामिली पर अप्रार्थीया संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह आढा ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। अप्रार्थीया अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिए जाने से जवाब बद तकिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से दिनाक 18.11.2020 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें स्टेट ने बताया कि मौजा धाधपुरा में खसरा न. 277 व 278 कुल रकबा 4–08 बीघा प्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें आने जाने हेतु मौजा धाधपुरा के खसरा संख्या 280,281,282

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested

से रास्ता चाहा है उक्त भूमि श्रीमती पोनी देवी पत्नि समाराम जाति मेघवाल निवासी पेशुआ की खातेदारी कृषिभूमि है। मौका देखने पर ज्ञात हुआ कि रास्ता खसरा संख्या 280,282 व 283 में से चाहा गया है। खसरा संख्या 281 में से नहीं चाहा गया है। खसरा संख्या 557/283 रकबा 1-04 बीघा किस्म चाही 3 मोबनीया पुत्र सोना कौम मेगवंशी निवासी पेशुआ की है। खसरा संख्या 277 व 278 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तथा प्रार्थीगण खसरा संख्या 278 के आस पास के खसरे की माठ से पैदल आवागमन करते है। कोई निश्चित रास्ता मौके पर नहीं पाया गया है। प्रार्थीगणों का खसरा संख्या 278 में कुआ स्थित है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू रेकर्ड में दर्ज रास्ता से नजदीक स्थित है। जिसका खसरा संख्या 283,282,280 मे से कुल क्षेत्रफल 3947 625 वर्गफीट है अर्थात 02 बिस्वा 18 बिस्वांसी है। उक्त भूमि इनके स्वयं के कुआ से सिंचित होती है तथा ग्राम पेशुआ की आवादी से 1 किमी. दूर है। ग्रामीण सडक से लगभग 400 मीटर दूर है। जिसकी डी.एल.सी. दर 39945 प्रति बिघा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता से आगे खसरा नम्बर 279 स्थित है। जिसमें मौके पर एल आकार में 16.50 फीट चौडा रास्ता चालू है। उक्त भूमि श्री जयन्तीलाल, प्रभूराम, नरेश पिता भमरा, फूसी, कमला, रेखा, बदी पुत्रिया भमरा, दारमी पत्नी भमरा कौम भील सा. पेशुआ के नाम दर्ज है। उक्त खसरा में स्थित रास्ता का क्षेत्रफल लं. 148.50 फीट व चौ. 16.50 फीट कुल 2450.25 वर्गफीट है। अर्थात् 01 बिस्वा 16 बिस्वांसी है। जिसकी डी.एल.सी दर 39945 प्रति बिघा है। अतः प्रस्तावित रास्ता का कुल क्षेत्रफल 6397.875 वर्गफीट है। अर्थात 04 बिस्वा 14 बिस्वांसी है। अप्रार्थीया पोनीदेवी पत्नि समाराम कौम मेघवाल निवासी पेशुआ सीमान्त कृषक होने से प्रस्तावित रास्ता नहीं देना चाहती है। व बताया कि वादीगण उक्त रास्ता इनके आगे के खसरा नम्बर जो इनकी जाति के खातेदारों के है। वहां से लेने का कह रहे है। लेकिन वादीगण प्रस्तावित स्थान से ही रास्ता लेना चाहते है। वादीगण के मौके पर कुआ में जाने हेतु रास्ता का अभाव है। व प्रस्तावित स्थान से नजदीक पडता है। खसरा नम्बर 279 में रास्ता मौजूद है। अतः खसरा नं [illegible] व 283 से दिया जाता उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में दिनांक 24.11.2020 को अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि आराजी तक आने जाने हेतु अप्रार्थिया की भूमि में से

...र गुजरना पडता है तथा साधन इत्यादि ले जाने व लाने में काफी परेशानी होती है तथा फसल बुआई हो जाने पर अत्यधिक असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी तक पहुंच हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है जिससे अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 280 व 282 में से उसके उत्तरी छोर सीमा पर से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 277,278 तक संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार नया रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है जो समीप सरल व सुविधा पूर्ण भी है। जिसकी नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। अतः तलबी अप्रार्थीगण व सुनवाई जांच कराकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी आराजी खसरा संख्या 277,278 तक पहुंच हेतु नया रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शित अनुसार खसरा संख्या 280 व 282 में से उसके उतरी छोर पर से स्वीकृत करावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मेरा खसरा संख्या 277,281,282 क्षैत्रफल 3–01 बीघा छोटा होने से रास्ता दिए जाने पर मेरी काश्त की भूमि रास्ते मे चली जाएगी जिससे मेरा नुकसान होगा। अत श्रीमान रास्ता दोनों में से दिया जाए।

पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थीगण / अप्रार्थी अधिवक्ता, की बहस एव तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगणों को अपने खेत पहुंचने के लए वैकल्पिक साधन का आभाव सिद्ध हो रहा है और प्रार्थीगणों को वैकल्पिक रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–: क्रियान्विति आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित [illegible] है कि प्रार्थीगणों द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. दर से रास्ते हेतु स्वीकृत [illegible] की दुगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने के पश्चात मौजा धांधपुरा पटवार हल्का [illegible]शुआ के खसरा संख्या 279, 280, 282, 283 में से कुल 387.75 फीट लम्बाई एवं 16.50 फीट चौडाई कुल क्षैत्रफल 6397.875 वर्गफीट अर्थात 4 बीस्वा 14 बीस्वांसी भूमि को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में

रास्ते के रूप में दर्ज करें एवं राजस्व लट्ठा नकशे में स्वीकृत रास्ते की भूमि की तरमीम की जावें। प्रार्थीगणों द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान उपरोक्त खसरा के समस्त खातेदारों को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करें।

(हरिसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
पिण्डवाडा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक– 25/11/2020 को हस्ताक्षर किये जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
पिण्डवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:41 IST
Reason: SelfAttested